न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी

विविध अपील वाद सं0–01/2007–08

उमा शंकर प्रसाद बनाम अवर निबंधक, पटना सदर

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19-5-18	**आदेश** प्रस्तुत विविध अपील वाद उमा शंकर प्रसाद, पिता जुगेश्वर प्रसाद, महल्ला–पानी टंकी रोड, खाजेकला, पटना द्वारा जिला अवर निबंधक, पटना के ज्ञाप सं0 2535 दिनांक 14.05.2007 के विरूद्ध निबंधन ऐक्ट की धारा–47ए के अंतर्गत विविध अपील आवेदन प्राप्त हुआ है। अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 12.09.2013 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 19.05.2018 को अपीलकर्ता अनुपस्थित है। अभिलेख परिशीलन किया। आयुक्त एवं सचिव सह निबंधन, महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्र सं0 01एम0–01–119/2005–1015 दिनांक 20.05.2006 से भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा–47ए में प्रदत्त शक्ति को समाहर्ता को रेफर किये जाने वाले शक्ति को सभी निबंधन पदाधिकारी को दिया गया है। पत्र में सभी वादों की तत्काल प्रभाव से निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक को हस्तांतरित करने का निदेश प्राप्त है। अतः अपीलकर्ता के अपील आवेदन को आयुक्त एवं सचिव निबंधन, महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्र के आलोक में निबंधन कार्यालय, पटना सदर के निरीक्षक को भेज दें। आदेश की एक प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 19/5/18 19/5/18 समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	